छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा)

शास्त्री चौक, रायपुर (छ0ग0) – 492001

दूरभाष नंबर :– 0771–4918927

Email:- office.rera.cg@gov.in Website:-https://rera.cgstate.gov.in/

क्रमांक / 104 / रेरा / 2024 / 1225 रायपुर, दिनाँक–20 / 5 / 2024

/ / परिपत्र / /

विषय :– जनवरी 2024 से मार्च 2024 तक अवधि हेतु बिना विलंब शुल्क के त्रैमासिक अद्यतन करने की अवधि में वृद्धि करने के संबंध में।

संदर्भ :– प्राधिकरण का परिपत्र क्रमांक–17 / रेरा / 2018 / 562, दिनांक 28.09.2018 एवं परिपत्र क्रमांक–98 / रेरा / 2024 / 83, दिनांक 05.01.2024

––00––

भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–3 सहपठित धारा–4, 5 व धारा–11 अंतर्गत छत्तीसगढ़ रेरा में पंजीकृत समस्त प्रोजेक्ट्स को प्रोजेक्ट की त्रैमासिक प्रगति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। प्राधिकरण द्वारा संदर्भित परिपत्र के माध्यम से इस संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किए गए है। तत्संबंध में जनवरी 2024 से मार्च 2024 तक की अवधि हेतु बिना किसी विलंब शुल्क के त्रैमासिक अद्यतन अपलोड करने की अंतिम तिथि 31 मई 2024 है। क्रेडाई छत्तीसगढ़ द्वारा पत्र दिनांक 14 मई 2024 के माध्यम से उक्त तिथि में वृद्धि हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। चूँकि प्राधिकरण द्वारा वर्तमान तिमाही वेबपोर्टल में मांग के अनुसार सॉफ्टवेयर में परिवर्तन कर नवीन संशोधन किए गए है। फलस्वरूप प्रमोटर्स को अपने प्रोजेक्ट्स से संबंधित इंवेन्ट्री(Inventory) की समस्त जानकारी(प्रत्येक इंवेन्ट्री, विक्रय एवं आधिपत्य की जानकारी) वेबपोर्टल पर अद्यतन करना होगा, जिसकी जानकारी एकत्रित / अपडेशन करने में अधिक समय लगना संभावित है, इसके अद्यतन करने के पश्चात् त्रैमासिक अद्यतन में स्वतः(Automatic) प्रदर्शित होगी। अतः क्रेडाई की उक्त मांग को ध्यान में रखते हुए जनवरी 2024 से मार्च 2024 तक की त्रैमासिक अवधि हेतु बिना विलंब शुल्क के त्रैमासिक अद्यतन करने की तिथि में वृद्धि किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्राधिकरण द्वारा अधिनियम की धारा–37 अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनवरी 2024 से मार्च 2024 तक की तिमाही हेतु बिना विलंब शुल्क के त्रैमासिक अद्यतन प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि करने के संबंध में निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैः–

01. जनवरी 2024 से मार्च 2024 तक की त्रैमासिक अवधि हेतु तिथि 31 मई 2024 में 01 माह का विस्तार करने हुए बिना विलंब शुल्क के त्रैमासिक अद्यतन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30 जून 2024 निर्धारित की जाती है। उक्त दिनांक पश्चात् त्रैमासिक अद्यतन किए जाने की स्थिति में विलंब शुल्क यथावत् देय होगा।

(माननीय प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित)

रजिस्ट्रार

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण

रायपुर